

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग, पटना।

पत्रांक : यो०मो०-03-कार्य-10-15/2026-1390

प्रेषक,

ई० ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)।

सेवा में,

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,
बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक : 12/06/26

विषय : बांका जिला के भितिया ग्राम में NTPC द्वारा प्रस्तावित 2x700 MWe Nuclear Power Plant (NPP) के लिये बढुआ जलाशय से 80 MCM वार्षिक जलापूर्ति उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग : दिनांक 29.04.2026 को सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर द्वारा समर्पित प्रस्ताव एवं की गई अनुशंसा के आलोक में निम्न शर्तों के साथ बांका जिला के भितिया ग्राम में NTPC द्वारा प्रस्तावित 2x700 MWe Nuclear Power Plant (NPP) के लिये बढुआ जलाशय से 80 MCM वार्षिक जलापूर्ति उपलब्ध कराने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है :-

1. NTPC द्वारा Nuclear Power Plant (NPP) के निर्माण अथवा उपयोग के क्रम में यदि भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता हो, तो उक्त अधिग्रहण उनके द्वारा स्वयं अपने व्यय पर किया जायेगा।
2. प्रस्तावित Nuclear Power Plant (NPP) के निर्माण अथवा उपयोग के क्रम में बढुआ जलाशय से 80 MCM वार्षिक जलापूर्ति के अलावे आवश्यकतानुसार अन्य किसी भी कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये ऊर्जा विभाग द्वारा जल संसाधन विभाग के पत्रांक PMC-5/विविध/9-28/2004-पार्ट-I-485 दिनांक 29.08.2024 के आलोक में अलग से प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा।
3. प्रस्तावित जलापूर्ति संबंधी निर्माण कार्य अथवा उपयोग के दौरान जल संसाधन विभाग की किसी भी परिसम्पत्ति की क्षति होने पर जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों के निदेशानुसार कार्यकारी विभाग अपने खर्च पर आवश्यक कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. प्रस्तावित जलापूर्ति संबंधी निर्माण कार्य के रूपांकण एवं आलेख्य पर कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बिजीखोरवा की सहमति के उपरांत ही निर्माण कार्य किया जायेगा।
5. प्रस्तावित निर्माण कार्य अथवा उपयोग के दौरान संभावित दुर्घटना से बचाव हेतु आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक कार्य कराने की जिम्मेवारी कार्यकारी विभाग की होगी। निर्माण कार्य अथवा उपयोग के

2

दरम्यान कोई आकस्मिक दुर्घटना घटित होने की परिस्थिति में इसकी पूर्ण जिम्मेवारी कार्यकारी विभाग की होगी।

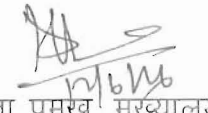
6. प्रस्तावित जलापूर्ति संबंधी निर्माण कार्य अथवा उपयोग के दौरान विभागीय भूमि पर से अवशिष्ट पदार्थ (Waste Material) को हटाने की जिम्मेवारी कार्यकारी विभाग की होगी।
7. प्रस्तावित जलापूर्ति संबंधी निर्माण कार्य अथवा उपयोग के दरम्यान जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा कार्यहित में दिया गया निदेश मानना होगा।
8. प्रस्तावित जलापूर्ति संबंधी कार्य के दौरान वैसे अनदेखे कार्य (Unseen Work), जो जल संसाधन विभाग के कार्यहित में हो, उसे कार्यकारी विभाग को कराना होगा।
9. प्रस्तावित जलापूर्ति संबंधी निर्माण कार्य की विशिष्ट एवं गुणवत्ता की जवाबदेही कार्यकारी विभाग की होगी।
10. भविष्य में जलापूर्ति संबंधी कार्यों की मरम्मत या विस्तारीकरण एवं अन्य कार्य जल संसाधन विभाग की सहमति से किया जा सकेगा।
11. प्रस्तावित Nuclear Power Plant (NPP) के निर्माण के उपरांत इसके संचालन के फलस्वरूप प्रतिवर्ष 22 MCM रेडियेशन-रहित जल Flowback के रूप में बढुआ जलाशय में वापस प्रवाहित किया जायेगा।
12. प्रस्तावित स्थल पर विभागीय स्वामित्व बना रहेगा।
13. उक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

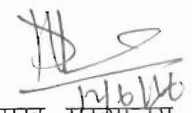

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक : यो०मो०-03-कार्य-10-15/2026- 1390 पटना, दिनांक : 12/06/26
प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, खड़गपुर/
कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बिजीखोरवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।


अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक : यो०मो०-03-कार्य-10-15/2026- 1390 पटना, दिनांक : 12/06/26
प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, आई०टी० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अभियंता प्रमुख, मुख्यालय